राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4356/2024

विद्या पत्नी कुलदीप कुमार, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी भीओं का केहड़ा, मंडल, पी.एस. मंडल, जिला. भीलवाड़ा

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. कुलदीप पुत्र बद्री लाल जी, निवासी भीलों का खेड़ा, पोस्ट मायजा, तहसील मंडल, पी.एस. मंडल, जिला. भीलवाड़ा,राज.
3. ललिता पुत्री मिठूदास जी, निवासी सरवाडियाखेड़ी, थाना रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला. राजसमंद, राज.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुधीर सरूपरिया

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुख्तयार खान, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

11/07/2024

1. याचिकाकर्ता राजसमंद के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 74/2023 में धारा 399 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.04.2024 को पारित आदेश से व्यथित है। आदेश ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 19/2022 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा, जिला भीलवाड़ा के निर्णय को उलट दिया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत आरोप तय किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 3 पर प्रतिवादी संख्या 2 की दूसरी पत्नी होने का आरोप है, जबकि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से वैध है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि याचिका में उल्लिखित है, इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता, उत्पीड़न, दहेज की मांग तथा अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा द्विविवाह का आरोप लगाया गया। परिणामस्वरूप, अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

2.2 दिनांक 25.05.2023 को ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498-ए, 406 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत आरोप तय किए।

2.3 दिनांक 25.05.2023 के आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने संयुक्त रूप से पुनरीक्षण याचिका दायर की। विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 के संबंध में इसे अनुमति दी, जिससे ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उसे आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका दायर की गई है।

3. उपरोक्त के प्रकाश में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

4. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401(2) के अंतर्गत याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्षकार है। अतः आक्षेपित आदेश केवल इसी संक्षिप्त आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।

5. न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में, विद्वान लोक अभियोजक इस बात से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया रुख सही है। तदनुसार, मामले को याचिकाकर्ता की सुनवाई के पश्चात सक्षम न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार और निर्णय के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।

6. मेरा ध्यान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रघु राज सिंह रौशा बनाम मेसर्स शिवम सुंदरम प्रमोटर्स (पी) एल एंड अन्य आपराधिक अपील संख्या 2054/2008 के मामले में दिए गए निर्णय की ओर भी आकृष्ट किया गया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:

"11. संहिता की धारा 397 उच्च न्यायालय को मामले के अभिलेखों को मंगाने का अधिकार देती है ताकि वह किसी निष्कर्ष, सजा या दर्ज या पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के संबंध में और ऐसे अवर न्यायालय की किसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके। तथापि, संहिता की धारा 397 की उपधारा (2) किसी कार्यवाही में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में ऐसी शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है। जबकि संहिता की धारा 399 सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है; धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है।

संहिता की धारा 401 की उपधारा (2) इस प्रकार कहती है:

> "(2) इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रति तब तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने बचाव में वकील द्वारा सुनवाई का अवसर न मिल गया हो।"

12. श्री जसपाल सिंह का यह तर्क कि आक्षेपित आदेश के कारण अपीलकर्ता पक्षपातपूर्ण नहीं था और किसी भी स्थिति में समन-पूर्व चरण में वह अभियुक्त नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

संहिता की धारा 401 की उपधारा (2) न केवल अभियुक्त बल्कि किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करती है और यदि वह पक्षपातपूर्ण है, तो उसे सुना जाना आवश्यक है।

उसके पक्ष में आंशिक रूप से आदेश पारित किया गया था। विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। यदि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया होता, तो वह दिखा सकता था कि कोई पुनरीक्षण आवेदन विचारणीय नहीं था और/या अन्यथा भी आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

13. मक्कापति नागेश्वर शास्त्री बनाम एस.एस. सत्यनारायण [(1981) 1 एससीसी 62] में, इस न्यायालय ने कहा कि ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में लागू होता है।

फिर भी पी. सुंदरराजन एवं अन्य बनाम आर. विद्या सेकर [(2004) 13 एससीसी 472] में इस न्यायालय ने कहाः

"4. उपरोक्त आधार पर, इसने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया और प्रतिवादी के पास उपलब्ध बचाव पर विचार किए बिना मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और उक्त न्यायालय को शिकायत दर्ज करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

5. हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह आदेश कानून की दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि इसमें अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है कि विद्वान न्यायाधीश ने प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और साथ ही प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले पक्षकार की सुनवाई करने की कानून की आवश्यकता का भी उल्लंघन किया है।"

7. धारा 399(2) के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई कार्यवाही में धारा 401(2) की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में विधि में उपर्युक्त स्पष्ट स्थिति को देखते हुए, मेरा मत है कि विद्वान सेशन न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 द्वारा उनके विरूद्ध धारा 493 के अन्तर्गत आरोप निर्धारित करने के विरूद्ध पुनरीक्षण कार्यवाही में याचिकाकर्ता को पक्षकार न बनाकर विधिक त्रुटि की है।

8. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। इस आधार पर, विद्वान सेशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 74/2023 में पारित दिनांक 06.04.2024 के आदेश को अपास्त किया जाता है, तथा मामले को पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता को पक्षकार बनाकर सुनवाई करने के पश्चात पुनः निर्णय के लिए विद्वान सेशन न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।